KOLHAN UNIVERSITY,
CHAIBASA WEST SINGHBHUM
JHARKHAND PIN- 833201
CONTACT NO.- 06582-255274

Ref. No. KU/R/ 1070 /26

Date – 06.07.2026

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के प्रत्रांक: -05/सं0–14/2026–1253, दिनांक– 18/06/2026 एवं प्रत्रांक:- DHESec2/संबंधन-27/2020/HTESD-1326 दिनांक 25/06/2026 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन परिनियम में वर्णित प्रावधान के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड० पाठयक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2026-28, 2027-29 एवं 2028-2030 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण निम्न शर्त्तों के अधीन प्रदान किया जाता है:–

क्र0स0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सत्र	अभियुक्ति
01	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
02	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
03	DBMS College of Education, Kadma, Jamshedpur	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
04	Madusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
05	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Lupungdih	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
06	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
07	Jamini Kalyani Mahato College of Management Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
08	Karim City College, Jamshepur	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
09	Swami Vivekanada College of Education, Salboni	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
10	Srinath College of Education, Adityapur, Jamshedpur	B.Ed	2026-28, 2027-29 & 2028-2030	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

शर्त्तें:–

i. महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्त्तों का अनुपालन समय–सीमा के अन्दर किया जाएगा।
ii. महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
iii. महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
iv. जिन महाविद्यालययों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हे, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जानी होने के 06 महीने के अंदर NAAC portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0, राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Guruchazon Kisku
Secretary
Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku
Teachers Training Institute
(B.Ed)

ह0/–
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

ज्ञापांक. KU/R/1070/26

दिनांक. 06.07.2026.

प्रतिलिपिः

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
3. कुलपति के सहायक को माननीया कुलपति के सूचनार्थ।
4. संचिका में।

Triveni Kumari
Prof-in-Charge
Ashu Kisku Memorial &
Rabi Kisku Teachers' Traning Institute
(B.Ed)

Rarjeet
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

Amahato 06/07/2026
President
Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku
Teacher's Training Institute
At:- Lupundih, Chandil